UPFD010037892021

**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–6, फिरोजाबाद।**
**उपस्थितः आजाद सिंह, ( उच्चतर न्यायिक सेवा)**
**अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1729 सन 2021**
**CNR No– UPFD–01–0037892021**

1– यशवीर सिंह पुत्र डालचन्द्र, उम्र करीब 47 वर्ष।
2– श्रीमती प्रेमकुमारी पत्नी श्री यशवीर सिंह, उम्र करीब 47 वर्ष।
3– शिवकुमार पुत्र श्री यशवीर सिंह , उम्र करीब 21 वर्ष।
4– श्रीमती पंकज कुमारी उर्फ दीप्ती पत्नी श्री शिव कुमार, उम्र करीब 21 वर्ष।
5– कुमारी पूजा पुत्री श्री यशवीर सिंह।
समस्त निवासीगण ग्राम हीरापुर, थाना कुरावली जनपद मैनपुरी।

.....अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ... ..विपक्षी।

अपराध संख्या– 182 सन 2020
धारा–498 ए, 506 भारतीय दण्ड संहित
एवं धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–एका, जिला फिरोजाबाद।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता– सुश्री सुषमा गांधी
विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)–श्री प्रिय प्रताप सिंह

**निस्तारण प्रार्थना पत्र अग्रिम जमानत अन्तर्गत धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973**

प्रश्नगत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, अभियुक्तगण यशवीर सिंह, श्रीमती प्रेम कुमारी, शिव कुमार, श्रीमती पंकज कुमारी उर्फ दीप्ती एवं कुमारी पूजा की ओर से अपराध संख्या–182 सन 2020, अन्तर्गत धारा– 498 ए, 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना–एका, जिला फिरोजाबाद के प्रकरण में अग्रिम

Digitally signed by Azad Singh
Date: 2021.07.07 14:51:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जमानत हेतु प्रार्थना करते हुए मुख्यतः इस आशय का कथन किया गया है कि कथित प्रकरण में अभियुक्तगण को उपरोक्त केस में झूठा फंसाया गया है और प्रार्थीगण पर आरोप लगाये गये हैं। शादी के बाद ठीक चल रहा था। प्रार्थीगण द्वारा राधा को लाड प्यार से रखते और कभी कोई शिकायत का मौका नहीं आने दिया। दिनाँक 31–08–2020 को ससुरालीजन मारूति कार से प्रार्थी के घर आये और कहा कि मैं खेत ले रहा हूँ मुझे एक लाख रूपये की आवश्यकता है। प्रार्थी ने कहा अस्सी हजार रूपये दे दिये और राधा को अपने साथ मय जेवर ले गया। राघवेन्द्र के साथ उसकी ससुरालीजनों ने गाली गलौज कर घर से बेईज़्ज़त करके जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाये।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा दहेज की माँग के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्टकर्ती का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न किया गया और महिला के प्रति गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

उभय पक्ष को सुनने के पश्चात पत्रावली का परिशीलन किया गया, पत्रावली के परिशीलन के दौरान पाया गया कि दिनाँक 25–10–2020 को अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है और इस स्तर पर ऐसा कोई भी समुचित आधार प्रदर्शित होता है, जिससे परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण शारीरिक व मानसिक रूप से इस आशय से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है। कथित प्रकरण के परिशीलन के दौरान पाया गया कि समस्त अपराध सात वष तक के कारावास के प्रावधान से सम्बन्धित है और अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्था–

**अर्नेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2014(8) सी.एल.जे. 3707**

का भी परिशीलन किया जाना भी न्यायोचित है। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त विधि व्यवस्था के माध्यम से अवधारित किया गया कि अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41क के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है, जबकि अपराध सात वर्ष के कारावास से दण्डनीय अपराध की श्रेणी में है।**"

वर्तमान प्रकरण में भी अभियुक्तगण के विरूद्ध सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय अपराधों की श्रेणी में आने वाली धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्था की इस स्तर पर प्रयोज्यता नहीं है और जहाँ तक माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्था के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्था विवेचना से सम्बन्धित पुलिस अधिकारी व रिमाण्ड के स्तर पर सभी न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्था में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य है और माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्था सभी राज्य सरकारों के मध्य अनुपालन हेतु परिचालित भी की जा चुकी है।

कथित प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है और कथित प्रकरण में ऐसा कोई आधार प्रतीत नहीं होता है , जिससे प्रदर्शित हो कि

अभियुक्तगण को मात्र आशंका के आधार अभियोग में गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है और न ही मात्र आशंका के आधार पर उनकी शारीरिक व मानसिक क्षति व अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है।

निष्कर्षतः अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

अभियुक्तगण **यशवीर सिंह, श्रीमती प्रेम कुमारी, शिव कुमार, श्रीमती पंकज कुमारी उर्फ दीप्ती एवं कुमारी पूजा** का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

इस प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **अर्नेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2014(8) सी.एल.जे.** 3707 के प्रावधानों के आज्ञापक अनुपालन हेतु इस आदेश की एक प्रति थानाध्यक्ष जसराना को आदेश के अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये।

इस आदेश की एक प्रति अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत निरस्त करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित न्यायालय , विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को प्रेषित की जाये।

आजाद सिंह
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–6, फिरोजाबाद।

दिनांक 02–07–2021

(J.O.6399)

हरवेन्द्र कुमार